

ए.बी.ए. 14017/24/81-आपना §आर.आर. §

भारत सन्तान

गृह मंत्रालय

साहित्य और प्रशासन सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक -5-1982

नागार्तिर्य ज्ञापन

विभाग:- भारत सरकार और राज राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विभागों/विभागों में निष्ठा सेवा अधिकारी/सेवादार के पद के अंतर्गत - नियम ।

गुले इस गारमनिय जापन के साथ भारत सरकार ने विभिन्न अधिनियमों/विभागों में सम्बन्ध लेना अधिनियमों/तेष्वार ॥550-900/500-900 स्पष्ट है। पद में गाँव भर्ती नियमों की एक प्रति भेजें ता निदेश हुआ है जो तब तब होता आयोग के परामर्श से निर्धारित प्रश्न पर तैयार किए गए हैं। वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इन गाँव भर्ती नियमों की, विभिन्न विभागों में, यदि कोई हो जो विभिन्न अपेक्षाओं के ध्यान में रखी हुए अपरिहार्य समझे जाने वाले कुछ मामलों में संशोधनों सहित स्वीकार करें। गृह मंत्रालय से भी अनुरोध है कि वह इन गाँव भर्ती नियमों को तब राज्य क्षेत्र प्रशासकों द्वारा अपनाए जाने के लिए अधिष्ठित करें ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सचिव, भारत सरकार

लेवा २.

भारत सरकार के लक्ष्मी प्रशासन विभाग ।

संघ को नेता आयोग को उनके दिनांक 27.4.81 के पत्र संख्या
एफ 7/3/80-आर.आर. के संदर्भ में प्रति श्रेष्ठित ।

मृदु संभावना/वर्णित और प्रभावित सुधार विभाग ने संतुष्ट और
सही नस्य जागरणियों को भी प्रति अनेकित ।

पद के लिए शर्तों नियम

मंत्रालय/विभाग में

पद का नाम	पदों की वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद है	सीधी शर्तों	य २० २० २०	सीधी शर्तों वाले
	किया		अथवा पद- चयन पद	वाले उच्चोद- वालों के लिए : वायु सेवा	पेशों नियम- वर्षी 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गये सेवा-वर्गों का सा-ग्राह्य है ।	उच्चोदवास्वालों के अपेक्षित अधिक तथा राम्य योगदान

1	2	3	4	5	6	6	7
नियम	मंत्रालय/	सागान्य	18 अप्रैल	चयन यदि	नागू नहीं	नागू नहीं	नागू नहीं
सेवा	विभाग	सेन्द्रीय	550-25-	पदोन्मत्ति	होता	होता	होता
अधिकारी/	द्वारा	सेवा	750-द०	शर्तों			
सेवाकार	भरे जाने	समूह "ख"	से० 30-	पदोन्मत्ति			
	के लिए	धराजमयित	900	में से ए			
			11 अप्रैल	पदोन्मत्ति			
			500-20-	नहीं हो			
			700-द०	तो नागू			
			से० 25-	नहीं होता			
			900				

क्या सीधी भर्ती
के सुपरीदारों
के लिए निर्धारित
वायु तथा योग्यताएं
पदोन्नति वाले
उपरीदारों पर भी
लागू होती ।

परिवीक्षा को
अतिथि यदि
कोई हो ।

भर्ती की विधि सीधी भर्ती
द्वारा या पदोन्नति द्वारा
या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण
द्वारा तथा विभिन्न विधियों
से भरी जाने वाली रिक्तियों
का प्रतिपक्ष

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण
द्वारा भर्ती होती हो तो वे ग्रेड जिन्को
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण
द्वारा जाना है

8

9

10

11

वायु नहीं होता

2 वर्ष

॥ यदि पदोन्नति
भर्ती पदवियों
में से एक पदवित्त
नहीं है तो वायु
नहीं होता ॥

प्रत्येक मामले में आवश्यकता
के अनुसार निम्नलिखित भर्ती-
विधियों में से किसी एक अथवा
दोनों :

॥१॥ पदोन्नति द्वारा,
ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति
पर स्थानान्तरण द्वारा

॥११॥ प्रतिनियुक्ति पर
स्थानान्तरण द्वारा अथवा
प्रतिनियुक्ति पर/स्थानान्तरण
द्वारा

पदोन्नति द्वारा

.....॥ फीडर पद का पदनाम ग्रेड में...
..... वर्ष की नियमित सेवा सहित ॥
॥ यदि पदोन्नति भर्ती विधियों में से एक विधि
नहीं है तो छोड़ दिया जाए ॥

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण तथा प्रतिनियुक्ति
पर/स्थानान्तरण द्वारा

॥१॥ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में 5 वर्ष
की सेवा वाले या अन्य केन्द्रीय सचिवालय सेवा
के सहायक उच्च श्रेणी विधिगत ग्रेडों में 10 वर्ष की
नियमित सेवा वाले या अन्य उच्च श्रेणी विधिगत अथवा
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उच्च श्रेणी विधिगत ग्रेड में
10 वर्ष की सेवा वाले ऐसे उच्च श्रेणी के पद जिन्होंने
केन्द्रीय सचिवालय तथा प्रमुख संस्थान या अन्य संस्थान
में रोल्ड और सेवा के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त है
रोल्ड सेवा तथा बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव
रखते हों ।

